... 10.01.2024 को पेश हो।

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारीः– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

इमरान खान पुत्र पप्पू खान जाति मुसलान निवासी भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी। (वादी)

बनाम

1. अजरूद्दीन पुत्र मुस्ताक
2. अयूब पुत्र मुस्ताक
3. कयूम पुत्र मुस्ताक
4. मुफीज पुत्र मुस्ताक
5. नसीम पुत्री मुस्ताक
6. परवीन पुत्री मुस्ताक
7. यास्मीन पुत्री मुस्ताक
8. अफरोज पुत्र अब्दुल खली
9. शाहिद पुत्र अब्दुल खली
10. फिरोज पुत्र अब्दुल खली
11. नसरून पतिन अब्दुल खली
12. रफफो पत्नि अब्दुल खलील
13. अफसार पुत्र सद्दीक
14. असफाक पुत्र सद्दीक
15. आशो पुत्री सद्दीक
16. बुद्दो पत्नि सद्दीक
17. इशाक पुत्र करीम
18. मुस्ताक पुत्र खेराती

    समस्त जातियान मुसलमान निवासी भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
19. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

मु0न0:– 165/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकेट व पैरोकार सरकार हमारे मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि ग्राम भैसा पट्टी खुर्द की आराजीयात मे निम्न प्रकार डिक्री दी जाती हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:01:08 IST
Reason: SelfAttested

क्र0स	खाता न0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	129	इमरान खॉन पुत्र पप्पू खॉन [illegible] शेख मुसलमान सा.देह खातेदार	563	0.1[illegible]
			कुल किता 1	0.1[illegible]
2	129	अजरूद्दीन पुत्र मुस्ताक हिस्सा 2/77, अयूब पुत्र मुस्ताक हिस्सा 2/77, कयूम पुत्र मुस्ताक हिस्सा 2/77, मुफीज पुत्र मुस्ताक हिस्सा 2/77, नसीम पुत्री मुस्ताक हिस्सा 2/77,	560 561 562 564	0.21 है0 0.16 है0 0.16 है0 0.12 है0

Scanned with OKEN Scanner

		परवीन पुत्री मुस्ताक हिस्सा 2/77, यास्मीन पुत्री मुस्ताक हिस्सा 2/7 मुस्ताक पुत्र खैराती हिस्सा 12/77, अफरोज पुत्र अब्दुल खलील हिस्सा 2/77, शाहिद पुत्र अब्दुल खलील हिस्सा 2/77, फिरोज पुत्र अब्दुल खलील हिस्सा 2/77, नसरून पत्नि अब्दुल खलील हिस्सा 2/77, रफफो पत्नि अब्दुल खलील हिस्सा 2/77, अफसार पुत्र सद्वीक हिस्सा 5/154, असफाक पुत्र सद्वीक हिस्सा 5/154, आशो पुत्री सद्वीक हिस्सा 5/154 बुद्वो पत्नि सद्वीक हिस्सा 5/154, इशाक पुत्र करीम हिस्सा 31/77 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार	572 कुल किता 5	0.12 है0 0.77 है0

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक–दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे।

निज......................मुबलिंग...........................बाबत.........................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह....................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक......... अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20.12.2024 को जारी की गई।

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वावत इजराय हुक्मनामा		
ववत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:01:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

लंब कर पत्रावली दिनांक [illegible]

उनवान:– इमरान बनाम अजरूद्दीन

न0:–165/2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांक:– 07.12.2023

मु0न0 165/2023

पीठासीन अधिकारी:– पूजा मीना आर.ए.एस

उनवान

इमरान खान पुत्र पप्पू खान जाति मुसलान निवासी भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी। (वादी)

बनाम

1. अजरूद्दीन पुत्र मुस्ताक
2. अयूब पुत्र मुस्ताक
3. कयूम पुत्र मुस्ताक
4. मुफीज पुत्र मुस्ताक
5. नसीम पुत्री मुस्ताक
6. परवीन पुत्री मुस्ताक
7. यास्मीन पुत्री मुस्ताक
8. अफरोज पुत्र अब्दुल खली
9. शाहिद पुत्र अब्दुल खली
10. फिरोज पुत्र अब्दुल खली
11. नसरून पतिन अब्दुल खली
12. रफफो पत्नि अब्दुल खलील
13. अफसार पुत्र सद्दीक
14. असफाक पुत्र सद्दीक
15. आशो पुत्री सद्दीक
16. बुद्दो पत्नि सद्दीक
17. इशाक पुत्र करीम
18. मुस्ताक पुत्र खेराती

    समस्त जातियान मुसलमान निवासी भैसा पट्टी खुर्द तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।
19. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(प्रतिवादीगण)

दावा बावत बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपरिथति:– श्री राजकुमार सिंह राजावत एडवोकट वादी
पैराकार सरकार तहसीलदार टोडाभीम

निर्णय

दिनांक:– 20.12.2024

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम भैसा पट्टी खुर्द की आराजी ख0न0 560/0.21, 561/0.16, 562/0.16, 563/0.16, 564/0.12, 572/0.12 कुल किता 6 कुल रकवा 0.93 है0 मे वादी बहिस्सा 1/6 का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के मुताबिक जमाबन्दी प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। वर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रति[illegible] बटवारा कर रखा है तथा अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है लेकिन राजस[illegible] विधिवत बटवारा नही होने के कारण आये दिन डौल मेड को लेकर [illegible] जमाबन्दी मे दर्ज हिस्से व कब्जे काश्त के अनुसार वादी की [illegible] प्रतिवादी न0 1 ता 18 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:01:08 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Scanned with OKEN Scanner

बाका दिनांक 25.10.2023 का है कि वादी ने प्रतिवादी न0 1 ता 18 से रिकार्ड मे विधिवत बटवारा कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण एकदम नाराजा हो गये और बोले की हम तुम्हारी जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करेगे। तुम्हे किसी प्रकार का कार्य नही करने देगे तथा ना ही हम उक्त जमीन का बटवारा करायेगे तुम से जो बनता है वो कर लो। तुम्हारी सम्पूर्ण भूमि को लट्ठ के बल पर जोतेगे। वादी ने काफी अनुनय विनय की लेकिन प्रतिवादीगण ने एक नही मानी। यदि प्रतिवादीगण अपनी उक्त गैरकानूनी कुचेष्ठा मे कामयाब हो गये तो वादी को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति इन टमर्स ऑफ मनी भी पूरी नही की जा सकती इसलिये यह दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण ग्राम भैसा पट्टी खुर्द की आराजी ख0न0 560/0.21, 561/0.16, 562/0.16, 563/0.16, 564/0.12, 572/0.12 कुल किता 6 कुल रकवा 0.93 है0 मे तहसीलदार टोडाभीम को बटवारा कमिश्नर नियुक्त कर मुताबिक हिस्सा व कब्जा बटवारा स्कीम तलब फरमाई जावे तथा वाद प्राप्ति दावा फाईनल डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजी मे प्रतिवादीगण किसी प्रकार से मजाहमत मदाखलत नही करे। नाही किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी न0 19 तहसीलदार टोडाभीम उपरिथत शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। दावा बाद सुनवाई दिनांक 05.11.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार टोडाभीम से बटवारा स्कीम तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

तहसीलदार टोडाभीम से प्राप्त बटवारा स्कीम का वादी वकील ने अवलोकन कर अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा मुताबिक रिकार्ड व कब्जेकाश्त अनुसार बटवारा स्कीम पेश की है अतः मुताबिक बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे।

वादी वकील की बहस पर मनन करते हुये पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो, व बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बटवारा स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम रिकार्ड मे दर्ज हिस्सानुसार व कब्जेनुसार तैयार की गई है। तथा वादी वकील ने भी अपनी बहस मे भी कथन किया है कि तहसीलदार टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत बटवारा स्कीम अनुसार दावा फाईनल डिक्री कर दिया जावे। अतः वादपत्र मे वर्णित आराजीयात ग्राम लुहारखेडा मे बटवारा स्कीम के अनुसार दावा निम्नानुसार फाईनल डिक्री किया जाता है।

क्र0स	खाता न0	नाम खातेदार काश्तकार	ख0न0	रकवा
1	129	इमरान खॉन पुत्र पप्पू खॉन जाति शेख मुसलमान सा.देह खातेदार	563	0.16 है0
			कुल किता 1	0.16 है0
2	129	अजरूद्दीन पुत्र मुस्ताक हिस्सा 2/77, अयूब पुत्र मुस्ताक हिस्सा 2/77, कयूम पुत्र मुस्ताक हिस्सा 2/77, मुफीज पुत्र मुस्ताक हिस्सा 2/77, नसीम पुत्री मुस्ताक हिस्सा 2/77, [illegible] हिस्सा 2/77, यास्मीन पुत्री मुस्ताक हि[illegible] 2/77, मुस्ताक पुत्र खैराती हि[illegible] अब्दुल खलील हिस्सा 2/77, [illegible] पुत्र [illegible] खलील हिस्सा 2/77, फिरोज पुत्र अब्दुल खलील	560 561 562 564 572	0.21 है0 0.16 है0 0.16 है0 0.12 है0 0.12 है0
			कुल किता 5	0.77 है0

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:01:08 IST
Reason: SelfAttested

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कल०
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी।

Scanned with OKEN Scanner

		हिस्सा 2/77, नसरून पत्नि अब्दुल खलील हिस्सा 2/77, रफफो पत्नि अब्दुल खलील हिस्सा 2/77, अफसार पुत्र सद्दीक हिस्सा 5/154, असफाक पुत्र सद्दीक हिस्सा 5/154, आशो पुत्री सद्दीक हिस्सा 5/154 बुद्दो पत्नि सद्दीक हिस्सा 5/154, इशाक पुत्र करीम हिस्सा 31/77 जाति मुसलमान सा.देह खातेदार		

उक्त सूची अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नक्शा ट्रेस की प्रति निर्णय के साथ सलग्न रहेगी। उभयपक्ष को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि एक—दूसरे के कब्जे काश्त मे मजाहमत मदाखलत नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो

निर्णय आज दिनांक 30.12.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुरसिटी

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.09.25 16:01:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner